



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265149
CG-DL-E-31072025-265149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3457]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2025/श्रावण 9, 1947

No. 3457]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2025/SHRAVANA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

का.आ. 3541(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-69) के नागपुर-ओबैदुल्लागंज खंड (नागपुर-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के किलोमीटर 0.48 से किलोमीटर 59.350 तक के हिस्से को और मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-69) के ओबैदुल्लागंज-बैतूल-मुल्ताई-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड के किलोमीटर 0.600 से किलोमीटर 256.400 तक के हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) को सुपुर्द किया है।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और दिनांक 25 सितंबर, 2014 को प्रकाशित पिछली राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2519 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-69) के महाराष्ट्र राज्य में स्थित (नागपुर-ओबैदुल्लागंज खंड (नागपुर-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा)) के डिज़ाइन किलोमीटर 2.950 से किलोमीटर 59.640# (मौजूदा किमी 3.00 से किमी 59.300) तक तथा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ओबैदुल्लागंज-बैतूल-मुल्ताई-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड के डिज़ाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 117.822# (मौजूदा किमी 137.00 से किमी 257.400*) तक चार या अधिक लेन के उपयोग पर, सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकारों पर, 130.635 किमी की शुद्ध सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) के लिए, 19.840 किमी की समतुल्य संरचना लंबाई

(जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) (जिसकी लंबाई 1.984 किमी है, सारणी-4) के लिए, सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 41.893 किमी लंबाई (सारणी-3) के बाईपास के लिए, जिनकी लागत दस करोड़ रुपये या उससे अधिक है, सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के देढ़ गुना से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.2
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.4
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

*_“प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है कि किमी 137.00 से 256.400 तक पुरानी चेनेज थी और मध्यवर्ती लंबाई में कुछ वृद्धि के कारण, अब नई अंतिम चेनेज किमी 257.400 है। हालाँकि, सौंपे गए खंड का भौतिक प्रारंभ और अंत अपरिवर्तित है।”

#_“प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि डिज़ाइन चेनेज 117.822 (मध्य प्रदेश खंड) और 59.640 (महाराष्ट्र खंड) एक ही स्थान (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) पर स्थित हैं। इसके अलावा, रियायत समझौते में उल्लिखित लंबाई की तुलना में डिज़ाइन लंबाई में 312 मीटर की वृद्धि हुई है।”

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे पथकर प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में भागेमारी गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 44.500 पर	49.232 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में खंबारा गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 71.050 पर	45.118 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मिलनपुर गांव के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 47(पुराना एनएच-69) के किमी /चेनेज 14.700 पर	36.285 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में भागेमारी गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 44.500 पर	एनएच - 47 पर सावनेर बाईपास	डिज़ाइन किमी 32.600 (मौजूदा किमी 32.700)	डिज़ाइन किमी 40.600 (मौजूदा किमी 40.00)	7.839	112.23	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में खंबारा गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 71.050 पर	एनएच-47 पर बड़चिचोली बाईपास	डिज़ाइन किमी 110.80 (मौजूदा किमी 250.500)	डिज़ाइन किमी 113.18 (मौजूदा किमी 253.180)	2.38	34.08	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-47 पर पांडुर्णा बाईपास	डिज़ाइन किमी 86.900 (मौजूदा किमी 226.050)	डिज़ाइन किमी 94.200 (मौजूदा किमी 233.900)	7.084	101.43	
	एनएच-47 पर तिगांव बाईपास	डिज़ाइन किमी 79.150 (मौजूदा किमी 218.100)	डिज़ाइन किमी 82.250 (मौजूदा किमी 221.150)	3.04	30.56	
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मिलानपुर गांव के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (पुराना एनएच-69) के किमी /चेनेज 14.700 पर	एनएच-47 पर मुलताई बाईपास	डिज़ाइन किमी 47.200 (मौजूदा किमी 188.400)	डिज़ाइन किमी 55.900 (मौजूदा किमी 194.600)	8.700	124.57	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-47 पर बैतूल बाईपास	डिज़ाइन किमी 0.250 (मौजूदा किमी 137.00)	डिज़ाइन किमी 13.250 (मौजूदा किमी 150.800)	12.850	183.99	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई* (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में भागेमारी गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 44.500 पर	1.301 [^]	13.01	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में खंबारा गाँव के पास एनएच-47 (पुराना एनएच-69) पर किमी/चेनेज 71.050 पर	0.438 ^{^^}	4.38	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मिलानपुर गाँव के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (पुराना एनएच-69) के किमी/चेनेज 14.700 पर	0.245 ^{^^^}	2.45	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	4.235	4.315	फ्लाईओवर	0.080
2	4.845	5.478	आरओबी	0.633
3	7.444	7.528	आरओबी	0.084
4	11.165	11.405	फ्लाईओवर	0.240
5	13.648	13.751	बड़ा पुल	0.103
6	38.050	38.211	आरओबी	0.161
कुल				1.301

^{^^} विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	65.371	65.450	आरओबी	0.0798
2	81.404	81.464	बड़ा पुल	0.0601
3	87.791	87.875	बड़ा पुल	0.084
4	91.836	91.967	बड़ा पुल	0.1316
5	94.242	94.324	बड़ा पुल	0.0822
कुल				0.438

^^^ विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	3.760	3.910	बड़ा पुल	0.150
2	18.029	18.124	बड़ा पुल	0.095
कुल				0.245

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रुपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2498.76 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-28018(74)/2/2024-पीयाईयू नागपुर 2/ ई-254741]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

S.O. 3541(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (number S.O.910 (E) dated the 21st Day of April, 2010) issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.48 to kilometer 59.350 of Nagpur Obaidullaganj section (Nagpur-Madhya Pradesh/ Maharashtra Border) in the state of Maharashtra and from km. 0.600 to km. 256.400 in the state of Madhya Pradesh (Obaidullaganj-Betul- Multai-Madhya Pradesh/Maharashtra Border) of National Highway No. 47 (Old NH-69) to the National Highways Authority of India hereinafter referred to as the "Authority";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of earlier Gazette Notification published vide S.O. No. 2519(E) dated 25th September, 2014, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 130.635 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 19.840 km (having length of 1.984 km, Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 41.893 km (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of (Nagpur-Obaidullaganj section (Nagpur-Madhya Pradesh/ Maharashtra Border)) from design kilometre 2.950 to kilometer 59.640[#] (existing km 3.00 to km 59.300) of National Highway number 47 (Old NH-69) in the State of Maharashtra and Obaidullaganj-Betul- Multai-Madhya Pradesh/Maharashtra Border section from design kilometer 0.000 to kilometer 117.822[#] (existing km 137.00 to km 257.400*) of National Highway number 47 (Old NH-69) in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

* - "Authority has confirmed that the old chainage was km. 137.00 to 256.400 and that due to some increase in intermediate length, the new End Chainage is km 257.400. However, the physical beginning and end of the entrusted stretch remains same."

[#] - "Authority has confirmed that corresponding design chainages of 117.822 (MP Section) & 59.640 (MH Section) correspond to same location (MP/MH Border). Further, there is increase of 312m as per design length from length mentioned in Concession Agreement".

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 44.500 of NH-47 (Old NH-69) near Bhagemari village(s) in Nagpur district of Maharashtra State	49.232 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

At Km/Ch. 71.050 of NH-47 (Old NH-69) near Khambara village in Betul district of Madhya Pradesh State	45.118 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 14.700 of NH-47 (Old NH-69) near Milanpur village in Betul district of Madhya Pradesh State	36.285 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (In Rs. Crore)	
At Km/Ch. 44.500 of NH-47 (Old NH-69) near Bhagemari village(s) in Nagpur district of Maharashtra State	Saoner Bypass of NH - 47	Design km 32.600 (existing km 32.700)	Design km 40.600 (existing km 40.00)	7.839	112.23	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 71.050 of NH-47 (Old NH-69) near Khambara village in Betul district of Madhya Pradesh State	Badchicholi Bypass of NH-47	Design km 110.80 (existing km 250.500)	Design km 113.18 (existing km 253.180)	2.38	34.08	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Pandhurna Bypass of NH-47	Design km 86.900 (existing km 226.050)	Design km 94.200 (existing km 233.900)	7.084	101.43	
	Tigaon Bypass of NH-47	Design km 79.150 (existing km 218.100)	Design km 82.250 (existing km 221.150)	3.04	30.56	
At Km/Ch. 14.700 of NH-47 (Old NH-69) near Milanpur village in Betul district of Madhya Pradesh State	Multai Bypass of NH-47	Design km 47.200 (existing km 188.400)	Design km 55.900 (existing km 194.600)	8.700	124.57	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Betul Bypass of NH-47	Design km 0.250 (existing km 137.00)	Design km 13.250 (existing km 150.800)	12.850	183.99	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 44.500 of NH-47 (Old NH-69) near Bhagemari village(s) in Nagpur district of Maharashtra State	1.301 [^]	13.01	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 71.050 of NH-47 (Old NH-	0.438 ^{^^}	4.38	100% for four or more

69) near Khambara village in Betul district of Madhya Pradesh State			lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 14.700 of NH-47 (Old NH-69) near Milanpur village in Betul district of Madhya Pradesh State	0.245 ^{^^}	2.45	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under:

S. No.	Chainage		Type of structure	Length (In Km)
	From	Km		
1	4.235	4.315	Flyover	0.080
2	4.845	5.478	ROB	0.633
3	7.444	7.528	ROB	0.084
4	11.165	11.405	Flyover	0.240
5	13.648	13.751	Major Bridge	0.103
6	38.050	38.211	ROB	0.161
Total				1.301

^{^^}The details are as under: -

S. No.	Chainage		Type of structure	Length (In Km)
	From	Km		
1	65.371	65.450	ROB	0.0798
2	81.404	81.464	Major Bridge	0.0601
3	87.791	87.875	Major Bridge	0.084
4	91.836	91.967	Major Bridge	0.1316
5	94.242	94.324	Major Bridge	0.0822
Total				0.438

^{^^^}The details are as under: -

S. No.	Chainage		Type of structure	Length (In Km)
	From	Km		
1	3.760	3.910	Major Bridge	0.150
2	18.029	18.124	Major Bridge	0.095
Total				0.245

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 350.00 (Three Hundred Fifty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2498.76 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-28018(74)/2/2024-PIU Nagpur 2/E-254741]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.